क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		शान्ति भंग किया जाना पत्रावली अन्तिम कार्यवाही हेतु पूर्ववत दि० 30/5/24 को पेश हो।
	23/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली पूर्ववत दिनांक 30/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
	30/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण अनुप० अप्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इश्तहार चिपकाया गया के बाद उप० नहीं। अतः अप्रार्थी क्र० 1 लगायत 08 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार ने अपने पत्रांक आर टी/2024/220 दिनांक 26/3/24 द्वारा रिपोर्ट पेश की, जिसमें शान्ति भंग किया जाना वर्णित पाया। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 04/06/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

रामफूल बनाम लक्ष्मण वगै0

ं0 :—08 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2.05.2024	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थीगण की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि ग्राम थली, पटवार हल्का थली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 985 रकबा 1.2700है0 की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम थली, पटवार हल्का थली, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 985 रकबा 1.2700है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी (ललित मीणा) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	